संख्या-439/2017/984/22-2-2017-17(154)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार पुत्र श्री लीलाधर, निवासी-जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15999-16004/प्रोबेशन-3/(एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार पुत्र श्री लीलाधर, निवासी-दौलतपुर खुर्द, थाना-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। ईश्वर त्यागी पत्नी व 02 मित्रों के साथ अपने गांव साकल पट्टी में भाई की लडकी की शादी में शामिल होने के लिये कार द्वारा दिल्ली से आते समय दिनांक 08.06.1980 की दोपहर लगभग 01:00 बजे ग्राम लोनी में बागपत पुलिस टीम के 10-11 लोंगों ने ईश्वर त्यागी व अन्य को बैंक लूटने के इरादे से आये बदमाश समझकर मुठभेंड में मार गिराया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 354/149, 147, 201, 120बी के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 23.01.1988 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.1988 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी के 07 सहअभियुक्त कारागार से रिहा तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2017 तक 26 वर्ष 08 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 52 वर्ष 07 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-8880(एम0/बी0)/2013 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राकेश कुमार (बन्दी संख्या-16625) पुत्र श्री लीलाधर निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-439/2017/984(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-439/2017/984/22-2-2017-17(154)/2007

दिनांक 15 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार पुत्र श्री लीलाधर, निवासी-दौलतपुर खुर्द, थाना-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। ईश्वर त्यागी पत्नी व 02 मित्रों के साथ अपने गांव साकल पट्टी में भाई की लडकी की शादी में शामिल होने के लिये कार द्वारा दिल्ली से आते समय दिनांक 08.06.1980 की दोपहर लगभग 01:00 बजे ग्राम लोनी में बागपत पुलिस टीम के 10-11 लोंगों ने ईश्वर त्यागी व अन्य को बैंक लूटने के इरादे से आये बदमाश समझकर मुठभेंड में मार गिराया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 354/149, 147, 201, 120बी के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 23.01.1988 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.1988 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी के 07 सहअभियुक्त कारागार से रिहा तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2017 तक 26 वर्ष 08 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 52 वर्ष 07 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। अतः समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।